प्रेस नोट-

थाना चिरगाँव, जनपद झाँसी

01.05.2025

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- अवैध असलहा-कारतूस की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का भंडाफोड़,
- अवैध असलहा-कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 01.05.2025 को थाना चिरगाँव पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर संगठित रुप से गिरोह बनाकर धनार्जन हेतु अवैध शस्त्रों एवं कारतूसों के व्यपार में संलिप्त 02 अभियुक्तों को 01-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01-01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा उक्त अपराध में प्रयुक्त 03 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चिरगांव पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 01.05.2025 को थाना चिरगाँव पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन व गश्त के दौरान मुखविर की सूचना पर समय करीब 03:00 बजे रात्रि को कस्बा चिरगाँव के लाल गोला मोड़ रोड़ से अभियुक्त 1. संदीप कुशवाहा उर्फ सेन्डी पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम सिया थाना चिरगांव जिला झाँसी उम्र करीब 24 वर्ष व 2. गफूर खान पुत्र स्व0 वाहिद खाँन निवासी ग्राम देवरा थाना चिरगाँव जिला झाँसी को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01-01 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं संगठित रुप से गिरोह बनाकर अवैध शस्त्रों तथा कारतूसों के व्यापार में प्रयुक्त कुल 03 मोबाइल फोन बरामद किया गया।

पूछताछ के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि गफूर, कामेन्द्र यादव उर्फ केडी तथा सन्दीप कुशवाहा उर्फ सेन्डी ये सभी उनके मुखिया चिरगाँव कस्बे के पूर्व पार्षद असगर का बेटा शाहरुख राईन के संरक्षण मे अवैध तमन्चा एंव कारतूस बेचने तथा खरीदने का कारोबार करते है, उससे जो भी इनकम होता है उसे ये सब आपस मे बाँट लेते हैं। शाहरुख राईन ही इन लोगों को तमन्चा कारतूस उपलब्ध कराता है। जिसे गफूर, कामेन्द्र यादव व सन्दीप कुशवाहा अपने-अपने ढंग से ग्राहक तलाश कर बेंच देते हैं।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवैध शस्त्र व कारतूसों के व्यापार में संलिप्त व फरार गैंग लीडर शाहरुख राईन पुत्र असगर निवासी करईयनपुरा कस्बा व थाना चिरगाँव जिला झाँसी तथा उक्त गिरोह के सक्रिय सदस्य कामेन्द्र यादव उर्फ केडी निवासी ग्राम सिया थाना चिरगाँव जिला झाँसी व गिरफ्तार अभियुक्त 1. संदीप कुशवाहा उर्फ सेन्डी, 2. गफूर खान के विरूद्ध थाना चिरगाँव पर मु0अ0सं0 109/2025 धारा 3/5/25(7) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त अपराध में संलिप्त एवं फरार गैंग लीडर शाहरुख राईन अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध थाना चिरगाँव में पूर्व से 04 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. संदीप कुशवाहा उर्फ सेन्डी पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम सिया थाना चिरगांव जिला झाँसी उम्र करीब 24 वर्ष
2. अभियुक्त गफूर खान पुत्र स्व0 वाहिद खाँन निवासी ग्राम देवरा थाना चिरगाँव जिला झाँसी उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं संगठित रुप से अपराध में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन

गिरफ्तारी का स्थान व समय- लाल गोला रोड़ मोड़ कस्बा व थाना चिरगाँव जनपद झांसी, दिनांक 01.05.2025 समय प्रातः करीब 03.00 बजे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1-उ0नि0 श्री सराफत बेग थाना चिरगाँव जिला झांसी

2-उ0नि0 श्री कामता प्रसाद शर्मा थाना चिरगाँव जिला झांसी

3-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव थाना चिरगाँव जिला झांसी

4- उ0नि0 श्री रविकान्त गोस्वामी थाना चिरगाँव जिला झांसी

5-हे0का0 473 अजमतउल्ला थाना चिरगाँव जिला झांसी

6-हे0का0 326 अभिषेक कुमार थाना चिरगाँव जिला झांसी

7- का0 178 शिवम सिंह थाना चिरगाँव जिला झांसी